

तारीख
हुक्म

07.08.2025

पञ्जावली पेश हुई। वकील वादी अधुना
रहे। इनको बार बार आवाजे दिलवाई
गई, बावजूद आवाजे वादी की ओर से कोई
हाजिर नहीं आया। अतः वादी का वादपत्र
अदम हाजरी अदम पेशी में स्वारीज किया
जाता है। पञ्जावली फौजल शुमार डेकार
नम्बर से कम हो, बाद तक मील वाकिफ
दफ्तर हो। L. P.



उपखण्ड अधिकारी
रींगस (सीकर)

